शासकीय मुकुटधर पाण्डेय महाविद्यालय, कटघोरा

ज़िला- कोरबा (छ०ग०)

(स्थापना- 16 दिसम्बर 1985)

(अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर से सम्बद्ध)

प्रवेश विवरणिका

सत्र-2022-23

NAAC ACCREDITED CGPA- 1.96 (C)

Website – www.gomdp.ac.in

E Mail- mdpcollegektg@gmail.com

Facebook Page – facebook.com/gomdp

अनुक्रमणिका

1. प्राचार्य की कलम से – 2
2. महाविद्यालय का परिचय - 3
3. प्राचार्य सूची - 4
4. छात्र संघ एवं प्रतिभावान सूची - 5
5. स्नातक-स्नातकोत्तर के विषय – 6
6. विषय समूह चयन - 7
7. प्रवेश नियम - 8-17
8. विद्यार्थियों हेतु आचार संहिता – 18
6. शुल्क विवरण - 19

महाविद्यालय के विभिन्न शैक्षणेत्तर विभाग/ सुविधाएँ/उपलब्धियाँ

7. विश्वविद्यालयीन परीक्षा /छात्रवृत्ति – 21
8. जनभागीदारी - 22
9. अन्य गतिविधियाँ – 23-24
10. छात्रवृत्ति नियमावली - 25
11. फ़ैकल्टी एवं कार्यालय स्टाफ़ – 26
12. ग्रंथालय परिचय - 27
12. आवेदन पत्र - 28-33
13. महाविद्यालय की झलकियाँ - 34-39

प्राचार्य की कलम से ...

प्रिय छात्र- छात्राओं,

शासकीय मुकुटधर पांडेय महाविद्यालय, कटघोरा में समस्त महाविद्यालयीन परिवार आपका स्वागत करता है। ईश्वर आपके भविष्य को उज्जवल एवं सफल बनाए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपके शैक्षणिक स्तर को उच्च से उच्चतर बनाने हेतु हर सम्भव प्रयास किया जाएगा।

इस संस्था में राष्ट्रीय सेवा योजना, यूथ रेडक्रास में सहभागी बनकर सांस्कृतिक कार्यक्रमों, भाषण, लेखन, वाद-विवाद, रंगोली आदि अकादमिक गतिविधियों खेलकूद द्वारा आप अपनी प्रतिभा को बढ़ाने का सतत प्रयास कर सकते हैं। महाविद्यालय के द्वारा आपको पुस्तकें, संदर्भ ग्रंथ, समाचार पत्र, पत्रिकाएँ, खेलकूद सामग्री, प्रायोगिक सुविधाएँ एवं अध्यापन की उत्तम व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती है। हमारी कामना है कि सभी छात्र अनुशासन, लगन एवं अध्ययन के साथ शैक्षणेत्तर गतिविधियों में अधिकाधिक हिस्सा लें।

यह महाविद्यालय पं॰सुंदर लाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय, बिलासपुर का अध्ययन केंद्र भी है, जिसमें दूरवर्ती शिक्षा के माध्यम से नवीन पाठ्यक्रमों में डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ छात्रों को कैरियर मार्गदर्शन के तहत लोक सेवा आयोग, इंजीनीयरिंग, मेडिकल, नर्सिंग, बी एड एवं अन्य रोज़गारोन्मुखी परीक्षाओं की भी जानकारी दी जाती है। आगामी सत्र से अर्थशास्त्र एवं गणित में स्नातकोत्तर कक्षाएँ प्रारम्भ करने की कार्यवाही पूर्णता की ओर है।

महाविद्यालय में अनुसूचित जाति, जनजाति के सभी छात्र-छात्राओं एवं समस्त बालिकाओं का शिक्षण शुल्क माफ़ है। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्प संख्यक एवं निर्धन सामान्य वर्ग के छात्रों को शासन द्वारा स्वीकृत छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाती हैं। स्वाध्यायी छात्रों हेतु प्रायोगिक सुविधा उपलब्ध है।

ग्रंथालय के कंप्यूटरीरण करने एवं INFLIBNET का कार्य पूर्ण हो चुका है। महाविद्यालय में केंटीन सुविधा उपलब्ध है। जनभागीदारी समिति के सहयोग से स्मार्ट क्लास, कम्प्यूटर शिक्षा, स्वच्छ प्रसाधन कक्ष, हेल्प डेस्क एवं अन्य छात्र हित की सुविधाएँ उपलब्ध कराई जा रही हैं।

महाविद्यालय के सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों तथा छात्रों के अथक प्रयास से महाविद्यालय में नैक मूल्यांकन का कार्य पूर्ण हो चुका है। महाविद्यालय को CGPA (1.96) प्राप्त हो चुका है। नैक के द्वारा गुणात्मक सुधार के सुझावों पर महाविद्यालय प्रशासन निरंतर अमल करने हेतु कृत संकल्पित है।

महाविद्यालय द्वारा "Taru Foundation" के साथ कौशल उन्नयन एवं प्लेस्मेंट हेतु MoU किया जा चुका है। आगामी वर्षों में इसका लाभ छात्रों को मिलना शीघ्र प्रारम्भ होगा।

हमारा विश्वास है कि हरे भरे वृक्षों से युक्त यह महाविद्यालय परिसर आपका सुंदर, सुदृढ़ एवं गौरवशाली भविष्य गढ़ने में सफल होगा।

(डॉ॰ मदनमोहन जोशी)
प्राचार्य

महाविद्यालय का परिचय

राज्य शासन के आदेश क्र० एफ 44/2/84/B/30-2, दिनांक 16.12.1985 के परिपालन में कटघोरा नगर में कटघोरा-कोरबा मार्ग पर 1985 को में इस सह-शिक्षा महाविद्यालय की स्थापना की गयी। यह महाविद्यालय आदिवासी क्षेत्र में विकास की एक अहम कड़ी है। वर्तमान भवन में यह महाविद्यालय 1996 में स्थानांतरित हुआ। आदिवासी एवं पिछड़ा क्षेत्र के इस महाविद्यालय का पोषण क्षेत्र काफी विशाल है। महाविद्यालय का शिलान्यास 22 अगस्त 1992 को किया गया एवं लोकार्पण 19 नवम्बर 1996 को हुआ।

महाविद्यालय की स्थापना के समय यहाँ कला एवं वाणिज्य की स्नातक स्तर की कक्षाएँ प्रारम्भ की गयी थी। वर्ष 1989 से यहाँ स्नातक विज्ञान एवं समाजशास्त्र में स्नातकोत्तर कक्षा प्रारम्भ करने की स्वीकृत्ति शासन से प्राप्त हुई। अपने सीमित संसाधनों से नगर एवं नगर के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में छात्रों को अध्ययन की सुविधा प्रदान करते हुए आदिवासी क्षेत्र में उच्च शिक्षा के अधिकाधिक विकास हेतु महाविद्यालय सतत प्रयासरत है।

सत्र 2010-11 में महाविद्यालय में जन भागीदारी समिति की अनुशंसा पर स्ववित्तिय मद से स्नातकोत्तर कक्षाओं का संचालन शासन के आदेश क्र० 1873/647/2010/38-1 दिनांक 20.05.2010 के अनुपालन में प्रारम्भ किया गया। इनमें कला संकाय में हिंदी, इतिहास, राजनीति शास्त्र, वाणिज्य संकाय में एम० कॉम० एवं विज्ञान में रसायन शास्त्र एवं प्राणी शास्त्र में स्नातकोत्तर कक्षाएँ प्रारम्भ की गयी।

यह महाविद्यालय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) की धारा 2(f) एवं 12(b) के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है। वर्तमान में महाविद्यालय अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर से सम्बद्ध है। महाविद्यालय को गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर से 2(f) की संबद्धता 1992 में तथा 12(b) की संबद्धता UGC के पत्र क्र० F.B-13/84/CPR-1, दिनांक, 29 जुलाई 1992 में प्राप्त हुई। राज्य शासन द्वारा अंचल के लब्ध प्रतिष्ठ साहित्यकार पं मुकुट धर पांडेय के नाम पर इस महाविद्यालय का नामकरण राज्य शासन के आदेश क्र०एफ 5-65/2007/38, दिनांक 13.06.2008 के द्वारा किया गया।

महाविद्यालय का AISHE के राष्ट्रीय पोर्टल पर पंजीयन क्रमांक C-22329 है। महाविद्यालय में पूर्व छात्रों का संगठन (Alumni) भी सक्रिय है और यह संगठन (पंजीयन क्रमांक 31839) सोसायटी ऐक्ट के अंतर्गत पंजीकृत है।

पं सुंदर लाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़ के पत्र क्र 998/प्रशा०/स्था०/ 2015, दिनांक 30.07.2015 के अंतर्गत इस महाविद्यालय में विश्वविद्यालय का अध्ययन केंद्र भी संचालित है।

वर्तमान में 1500 से अधिक छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा की सुविधा प्रदान करने वाला यह महाविद्यालय कोरबा ज़िले का महत्वपूर्ण शैक्षणिक केंद्र बन चुका है।

प्राचार्य सूची

क्र०	नाम	नियमित/ प्रभारी	कब से	कब तक
संस्थापक प्राचार्य डॉक्टर बी० पी० अम्बष्ठ				
1	प्रो०यशवंत केलकर	नियमित	15.5.86	15.6.87
2	श्री ओ० पी० श्रीवास्तव	प्रभारी	16.6.87	16.11.87
3	प्रो० डी० एन० तिवारी	नियमित	17.11.87	26.7.88
4	श्री ओ० पी० श्रीवास्तव	प्रभारी	27.7.88	26.8.88
5	प्रो०वीर सिंह पटेल	नियमित	27.8.88	26.10.88
6	श्री ओ० पी० श्रीवास्तव	प्रभारी	27.10.88	25.2.89
7	डॉ० एस०पी०भिसे	नियमित	26.2.89	3.7.90
8	श्री ओ० पी० श्रीवास्तव	प्रभारी	4.7.90	3.2.92
9	डॉ० के०के०तिवारी	नियमित	4.2.92	11.7.96
10	ओ० पी० श्रीवास्तव	प्रभारी	12.7.96	8.12.96
11	डॉ० एल०के०ठेठवार	नियमित	9.12.96	7.10.98
12	डॉ०ओमनारायण चौरसिया	नियमित (अति.प्रभार)	24.10.98	1.5.99
13	श्री आइ०पी०देवांगन	प्रभारी	2.5.99	14.11.99
14	श्री आशुतोष लाल	प्रभारी	15.11.99	23.5.06
15	श्री आइ०पी०देवांगन	प्रभारी	24.5.06	23.2.07
16	श्रीमती रंजना नाथ	प्रभारी	24.2.07	31.5.09
17	डॉ० संध्या तिवारी	नियमित	1.6.09	6.8.12
18	श्री आइ०पी०देवांगन	प्रभारी	7.8.12	28.10.13
19	डॉ० एस०के० यादव	प्रभारी	28.10.13	29.6.14
20	डॉ० सतीश कुमार अग्रवाल	नियमित	30.6.14	08.4.22
21	डॉ०मदनमोहन जोशी	प्रभारी	09.4.22	Till Date

-:प्रतिभावान छात्रों की सूची :-

क्र०	नाम	वि०वि० मेरिट में स्थान	वर्ष	रोल नम्बर	विषय
1	कु जी शांति	I	2016	48504102	M Sc-Chemistry
2	कु तनुजा देशमुख	VI	2016	34504175	M A-Hindi
3	कु प्राची अग्रवाल	VII	2016	67504151	M Com
4	कु पूनम जायसवाल	V	2016	28504057	M A-Hindi
5	कु शांति वर्मा	IV	2017	031750410157	B A
6	कु नाज़मीन खान	III	2017	671750410008	M Com
7	कु नीलम अग्रवाल	V	2018	295560	M Com
8	रेणु पाठक	III	2021	383715	M A-Sociology

-:छात्र संघ पदाधिकारियों की सूची :-

वर्ष	अध्यक्ष	उपाध्यक्ष	सचिव	सह-सचिव
2014-15	कु प्रिया गर्ग	अशोक कुमार रजक	आकाशदीप मनकर	कु अंकिता साहू
2015-16	आदर्श शर्मा	कु प्रिया देवांगन	ज़िया उल हक़	अमेंदर ठाकुर
2016-17	आशीष उपाध्याय	राजकुमार यादव	कु प्रिया देवांगन	दीनू कुमार
2017-18	कु आरती	कु हेमलता	सूरज कुमारी	प्रियंका श्रीवास
2018-19	कु तिलकेश्वरी	ललिता कुमारी	विजय कुमार	पद्मावती कुमारी
2019-20	इंद्रपाल सूर्यवंशी	रेणु पाठक	अंजलि नेहा साहू	मंजू कश्यप
2020-21	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
2021-22	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

"स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर पढ़ाये जाने वाले विषय समूह एवं संकाय"

महाविद्यालय में शासकीय मद से संचालित कोर्स –

क्र	कक्षा	विषय	सीट
01	स्नातक कला बी ए I, II, III	समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, हिंदी साहित्य, अंग्रेज़ी साहित्य, राजनीति शास्त्र, इतिहास, आधार पाठ्यक्रम	240
02	स्नातक वाणिज्य बी कॉम I, II, III	सभी अनिवार्य विषय	120
03	स्नातक विज्ञान बी एस सी (गणित) I,II,III बी एस सी (बायो) I,II,III	 भौतिकी, रसायन, गणित, आधार पाठ्यक्रम प्राणी, रसायन, वनस्पत्ति, आधार पाठ्यक्रम	 60 160
04	स्नातकोत्तर समाजशास्त्र	सभी अनिवार्य विषय	40

जनभागीदारी मद से स्वविन्तिय योजना के अंतर्गत संचालित स्नातकोत्तर कक्षाएँ -
(सेमेस्टर प्रणाली)

01	स्नातकोत्तर	राजनीति शास्त्र	30
02	स्नातकोत्तर	इतिहास	30
03	स्नातकोत्तर	हिंदी साहित्य	30
04	स्नातकोत्तर	वाणिज्य	40
05	स्नातकोत्तर	रसायन शास्त्र	20
06	स्नातकोत्तर	प्राणी शास्त्र	20

1) एम एस सी प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु सैद्धांतिक विषय में न्यूनतम अर्हता अनिवार्य होगी।

2) बी ए, बी एस सी, बी कॉम प्रथम वर्ष हेतु पर्यावरण अध्ययन अनिवार्य विषय होगा।

-: विषय समूह चयन :-

(अ) <u>स्नातक कला- बी ए भाग एक :-</u>

अनिवार्य विषय – आधार पाठ्यक्रम हिंदी, अंग्रेज़ी, पर्यावरण अध्ययन

वैकल्पिक विषय – वैकल्पिक विषय में तीन समूहों का गठन किया गया है। छात्र किसी भी एक समूह से ही तीन विषयों का चयन कर सकता है।

(a) राजनीति / समाज शास्त्र / अर्थशास्त्र / हिंदी साहित्य / अंग्रेज़ी साहित्य

(b) समाज / इतिहास/ अर्थशास्त्र/ हिंदी साहित्य/ अंग्रेज़ी साहित्य

(c) इतिहास/ राजनीति/ अर्थशास्त्र/ हिंदी साहित्य/ अंग्रेज़ी साहित्य

<u>स्नातक कला- बी ए भाग दो एवं तीन :-</u>

अनिवार्य विषय – आधार पाठ्यक्रम हिंदी, आधार पाठ्यक्रम अंग्रेज़ी

वैकल्पिक विषय – भाग दो एवं तीन के लिए प्रथम वर्ष में लिए गए वैकल्पिक विषय ही छात्र को लेना होगा । पाठ्यक्रम के मध्य में विषय परिवर्तन नहीं किया जा सकता है।

नोट – महाविद्यालय की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी हेतु नियमित रूप से वेबसाइट <u>www.gomdp.ac.in</u> को देखते रहें।

कोविड-19 से अपना बचाव करें। मास्क लगाएँ एवं सामाजिक दूरी का पालन अनिवार्यत: करें। बचाव हेतु टीकाकरण अवश्य लें एवं दूसरों को भी प्रेरित करें।

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
::मंत्रालय::
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
जिला–रायपुर
------00---------

क्रमांक एफ 17–95/2017/38–2 नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर, दिनांक 06/6/2022

प्रति,

आयुक्त,
उच्च शिक्षा संचालनालय,
इंद्रावती भवन,
नवा रायपुर अटल नगर,
रायपुर।

विषयः– **छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिये सत्र 2022–23 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत तैयार करने बाबत्।**

संदर्भ– आपका प्रस्ताव कमांक 2917/760/761/आउशि/सम./2022 दिनांक 31.05.2022

-----00-------

विषयांतर्गत संदर्भित प्रस्ताव का कृपया अवलोकन करें।

2/ राज्य के उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित शैक्षणिक संस्थाओं के लिये शैक्षणिक सत्र 2022–23 हेतु अनुमोदित प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत की एक प्रति संलग्न प्रेषित है।

कृपया सभी संबंधित संस्थाओं को मार्गदर्शिका की प्रति उपलब्ध कराते हुए मार्गदर्शिका में दिये गये प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

(ए.आर. खान)
अवर सचिव
छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृ क्रमांक एफ 17–95/2017/38–2 नवा रायपुर अटल नगर रायपुर, दिनांक

प्रतिलिपिः–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर रायपुर।
2. निज सचिव, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

3. गार्ड फाईल।

अवर सचिव
छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग

P.T.O.-2.

महाविद्यालय में शासन द्वारा निर्धारित प्रवेश सम्बन्धी नियम

1. प्रयुक्ति :-

1.1 यह मर्गदर्शक सिद्धांत छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय/ अशासकीय महाविद्यालयों मे छ ग विश्विद्यालय अधिनियम १९७३ के तहत अध्यादेश क्र ६ एवं ७ के प्रावधान के साथ सहपाठित करते हुए लागू होंगे तथा समस्त प्राचार्य इनका पालन सुनिश्चित करेंगे।

1.2 प्रवेश के नियमों को शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालय को कड़ाई से पालन करना होगा। “प्रवेश” से आशय स्नातक कक्षा के प्रथम तथा स्नातकोत्तर कक्षा के पूर्व अथवा प्रथम सेमेस्टर से है।

2. प्रवेश की तिथि :-

2.1 प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करना -

इस वर्ष विश्वविद्यालय स्तर पर प्रवेश हेतु ऑनलाइन फ़ॉर्म जमा कराया जाएगा । जिन महाविद्यालयों के लिए जितने फ़ॉर्म जमा होंगे उसे उस महाविद्यालय को प्रेषित किया जाएगा। ऑनलाइन से प्राप्त आवेदनों में से प्राचार्य, शासन से प्राप्त प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत के नियमों के आधार पर प्रवेश प्रदान करेंगे ।

(अ) अपरिहार्य कारणों से यदि “ऑफ़लाइन” आवेदन जमा करना हो तो आवेदक द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश के लिए प्राचार्य द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र समस्त प्रमाण पत्रों सहित निर्धारित दिनांक तक महाविद्यालय में जमा किए जाएँगे

(ब) प्रवेश हेतु बोर्ड/ विश्वविद्यालय द्वारा अंकसूची प्रदान न किए जाने की स्थिति में पूर्व संस्था के सम्बंधित प्राचार्य द्वारा प्रमाणित किए जाने पर बिना अंकसूची के आवेदन पत्र जमा किए जा सकेंगे।

2.2 प्रवेश हेतु अंतिम तिथि निर्धारित करना –

स्थानांतरण प्रकरण को छोड़कर 16 जून से 16 अगस्त तक प्राचार्य स्वयं तथा 26 अगस्त तक कुलपति की अनुमति से प्राचार्य प्रवेश देने में सक्षम होंगे। स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश की तिथि 16 जून से तथा अन्य कक्षाओं हेतु 16 जून से 15 जुलाई तक या परीक्षा परिणाम घोषित होने के 10 दिवस के भीतर) शासन द्वारा समय -समय पर जारी निर्देशों के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया की जावेगी। परीक्षा परिणाम विलंब से घोषित होने की स्थिति में परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरांत 10 दिवस के भीतर प्रवेश कार्य पूर्ण किए जावेंगे। कंडिका 5.1 (क) में उल्लेखित कर्मचारी के स्थानांतरित होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश चाहने वाले उनके पुत्र/ पुत्रियों को स्थान रिक्त होने पर सत्र के दौरान प्रवेश दिया जाएगा किंतु इसके लिए कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने एवं आवेदक का प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अन्य महाविद्यालय में प्रवेश होने की स्थिति में प्रवेश दिया जाएगा।

विशेष टीप :-

सत्र 2022-23 की प्रवेश प्रक्रिया में CBSE / ICSC बोर्ड एवं अन्य बोर्ड जिनके परीक्षा परिणाम घोषित नहीं हुए हैं, ऐसे आवेदक सम्बंधित बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा के अंतर्गत प्रथम टर्म में प्राप्त अंक पत्रक की छाया प्रति सम्बंधित विद्यालय के प्राचार्य के हस्ताक्षर करवाकर अपलोड करेंगे। CBSE / ICSC बोर्ड के ऐसे आवेदक जिनको सम्बंधित विद्यालय द्वारा प्रति हस्ताक्षरित पत्रक उपलब्ध नहीं करा रहे हैं, ऐसे आवेदक प्रथम टर्म के अंकों के लिए वचन पत्र स्वयं / अभिभावक के हस्ताक्षर से अपलोड करेंगे। वचन पत्र असत्य पाए जाने पर प्रवेशित विद्यार्थी का प्रवेश स्वमेव निरस्त माना जाएगा पढ़ा जावे ।

स्पष्टीकरण :

आवेदक क ने किसी अन्यत्र स्थान (अ) के महाविद्यालय में नियमानुसार किसी कक्षा में प्रवेश लिया था । उसके बाद उसके पालक का स्थानांतरण स्थान 'ब' हो गया, इस स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में अब प्रवेश लेना चाहता है , रिक्त स्थान होने पर ही उसे प्रवेश दिया जाएगा। आवेदक ख ने स्थान (अ) में जहां उसके पालक कार्यरत थे, किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया किंतु पालक के स्थान (ब) में स्थानांतरण होते ही स्थान

(ब) के किसी महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है, अतः अब प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि निकल जाने के बाद आवेदक (ख) को प्रवेश नहीं दिया जा सकता।

विधि संकाय के अतिरिक्त अन्य संकायों में पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों को पुनर्मूल्यांकन के परिणाम घोषित होने के 15 दिन तक संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति की अनुमति के पश्चात गुनानुक्रम में आने पर प्रवेश की पात्रता होगी। किंतु विधि संकाय की कक्षा में गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश की पात्रता होने पर भी महाविद्यालय में स्थान रिक्त होने पर ही ही प्रवेश दिया जाएगा। 12वीं कक्षा में पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को भी महान रिक्त होने पर नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

3. प्रवेश संख्या का निर्धारण :-

महाविद्यालयों में उपलब्ध साधनों तथा कक्षा में बैठने की व्यवस्था, प्रयोगशाला में उपलब्ध उपकरण/ उपयोग योग्य सामग्री एवं स्टाफ की उपलब्धता आदि के आधार पर पूर्व में दी गई छात्र संख्या सीट के अनुसार ही विभिन्न कक्षाओं के लिए छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा। यदि प्राचार्य महाविद्यालय में प्रवेश हेतु छात्र संख्या में सीट की वृद्धि चाहते हैं तो 30 अप्रैल तक अपना प्रस्ताव उच्च शिक्षा संचालनालय को प्रेषित करें। तथा उच्च शिक्षा संचालनालय/ उच्च शिक्षा विभाग से अनुमति प्राप्त होने पर बढ़े हुए स्थान के अनुसार प्रवेश की कार्यवाही करें।

विधि स्नातक प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की कक्षाओं में बार काउंसिल द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार अधिकतम 80 विद्यार्थियों को ही प्रति सेक्शन (अधिकतम चार सेक्शन) में प्रवेश गुणानुक्रम के आधार पर दिया जावे। सम्बद्ध विश्वविद्यालय/ स्वशासी महाविद्यालय द्वारा प्रत्येक कक्षा के लिए अध्यापन के विषय/ विषय समूह का निर्धारण किया गया है। प्राचार्य अपने महाविद्यालयों में उन्हीं निर्धारित विषय/ विषय समूह मैं निर्धारित प्रवेश संख्या के अनुसार ही प्रत्येक कक्षा में आवेदकों को प्रवेश देंगे।

4. प्रवेश सूची :-

4.1 प्राचार्य द्वारा प्रवेश शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि की सूचना देते हुए, प्रवेश हेतु चयनित विद्यार्थियों की अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांकों एवं जहां अधिभार देय है, वहां अधिभार देकर कुल प्राप्त अंकों की गुणानुक्रम सूची, प्रतिशत अंक सहित, सूचना पटल में लगाई जाएगी।

4.2 प्रवेश समिति द्वारा आवश्यक संलग्न प्रमाण पत्रों की प्रतियों को मूल प्रमाण पत्रों से मिलान कर प्रमाणित किए जाने एवं स्थानांतरण पत्र की मूल प्रति जमा करने के पश्चात ही प्रवेश शुल्क जमा करने की अनुमति दी जावेगी। प्रवेश देने के तत्काल बाद स्थानांतरण प्रमाण पत्र पर " प्रवेश दिया गया" रद्द की मोहर लगाकर उसे रद्द करना चाहिए।

4.3 निर्धारित शुल्क जमा करने पर ही महाविद्यालय में प्रवेश मान्य होगा। प्रवेश के पश्चात स्थानांतरण प्रमाण पत्र की मूल प्रति को निरस्त की सील लगाकर अनिवार्य रूप से निरस्त कर दिया जाए।

4.4 घोषित प्रवेश सूची की शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के बाद स्थान रिक्त होने पर सभी कक्षाओं में नियमानुसार प्रवेश हेतु विलंब शुल्क रु० 100 अशासकीय मद में अतिरिक्त रूप से बसूला जाएगा। तथापि ऐसे प्रकरणों में 31 जुलाई के पश्चात प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।

4.5 स्थानांतरण प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रति (डुप्लीकेट) के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। स्थानांतरण प्रमाण पत्र खो जाने की स्थिति में विद्यार्थी के द्वारा निकटतम पुलिस थाने में एफ आई आर दर्ज किया जाए। पुलिस थाने में रिपोर्ट एवं पूर्व प्रवेश संस्था से अधिकृत रिपोर्ट जिसमें मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र का अनुक्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख हो, प्राप्त होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जा सकता है। इस हेतु विद्यार्थी से वचन पत्र लिया जाए।

4.6 महाविद्यालय के प्राचार्य स्थानांतरण प्रमाण पत्र जारी करने के साथ-साथ छात्र से संबंधित गोपनीय रिपोर्ट जारी करेंगे कि संबंधित छात्र रैगिंग/ अनुशासनहीनता/ तोड़फोड़ आदि में लिप्त है या नहीं। ऐसे गोपनीय रिपोर्ट को सील बंद लिफाफे में बंद कर उस महाविद्यालय के प्राचार्य को प्रेषित करेंगे जहां के छात्र/ छात्रा ने प्रवेश के लिए आवेदन किया है।

4.7 छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक 2653/ 2014/ 38-1 दिनांक 10 सितंबर 2014 अनुसार " राज्य शासन ऐतद द्वारा शासकीय महाविद्यालय में अध्ययनरत स्नातक स्तर की छात्राओं को 2014- 15 से शिक्षण शुल्क से छूट प्रदान करता है" का पालन किया जाए।

5. प्रवेश की पात्रता :-

5.1 निवासी एवं अर्हकारी परीक्षा :

क- छत्तीसगढ़ के मूल/ स्थाई, छत्तीसगढ़ में स्थाई संपत्ति धारी निवासी/ राज्य या केंद्र सरकार के शासकीय कर्मचारी, अर्ध शासकीय कर्मचारी तथा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी, राष्ट्रीय कृत बैंक तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यावसायिक संगठनों के कर्मचारी जिनका पदांकन छत्तीसगढ़ में है। उनके पुत्र/ पुत्रियों एवं जम्मू कश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को ही शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश दिया जाएगा। उपरोक्त अनुसार प्रवेश देने के पश्चात भी स्थान रिक्त होने पर अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त बोर्ड एवं अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को नियमानुसार क्रम के आधार पर प्रवेश किया जा सकता है।

ख - सम्बद्ध विश्वविद्यालय से या सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को ही महाविद्यालय में प्रवेश की पात्रता होगी।

ग - आवश्यकतानुसार संबंधित विद्यालयों से पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात ही आवेदकों को प्रवेश प्रदान किया जाए।

5.2 स्नातक स्तर नियमित प्रवेश -

क - 10+ 2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक स्तर प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। किंतु वाणिज्य व कला संकाय के आवेदकों को विज्ञान संकाय में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। बीएचएस सी (गृह विज्ञान) प्रथम वर्ष में किसी भी संकाय से उत्तीर्ण छात्रा को प्रवेश की पात्रता होगी।

ख - स्नातक स्तर की प्रथम/ द्वितीय परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उन्हीं विषयों की क्रमश द्वितीय/ तृतीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। स्नातक द्वितीय स्तर पर विषय परिवर्तन की पात्रता नहीं होगी।

5.3 स्नातकोत्तर स्तर नियमित प्रवेश-

क - बीकॉम/ बी एच एस सी/ बी ए स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमश: एम कॉम/ एमएचएससी/ एम ए पूर्व/ प्रथम सेमेस्टर एवं अर्हकारी विषय लेकर बीएससी उत्तीर्ण आवेदकों को एमएससी/ एम ए पूर्व मैं नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

ख - स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष/ प्रथम सेमेस्टर उत्तीर्ण आवेदकों को उसी विषय के स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। सेमेस्टर पद्धति की पूर्ण अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को अगले सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

ग - **स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु एटीके टी(Allowed to keep term) नियम-**

1. स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्राविधिक प्रवेश की पात्रता रखने वाले आवेदकों को प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व प्राविधिक प्रवेश लेना अनिवार्य है।

2. स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर में एटीकेटी नियमों के अनुसार पात्र आवेदकों को अगले सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता होगी।

6。 समकक्ष परीक्षा :-

6.1 सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इंडियन काउंसिल फॉर सेकेंडरी एजुकेशन तथा अन्य राज्यों के विद्यालयों/ इंटरमीडिएट बोर्ड की 10 +2 की परीक्षाएं माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10 +2 परीक्षा के समकक्ष मान्य है। प्राचार्य मान्य बोर्ड की सूची विश्वविद्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।

6.2 सामान्यता भारत में स्थित विश्वविद्यालय जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ(एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी) के सदस्य हैं उनकी समस्त परीक्षाएं छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालय की परीक्षा के समकक्ष मान्य है। ऐसे विश्वविद्यालय (IGNOU को छोड़कर) जो दूरवर्ती पाठ्यक्रम संचालित करते हैं, किंतु राज्य शासन से अनुमति प्राप्त नहीं है , की परीक्षाएं मान्य नहीं है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के किसी भी विश्वविद्यालय अथवा शैक्षणिक संस्था को छत्तीसगढ़ राज्य में अध्ययन केंद्र/ ऑफ केंपस आदि खोलकर छात्र/ छात्राओं को प्रवेश देने/ डिग्री देने की मान्यता नहीं है। ऐसी संस्थाओं से डिग्री/ डिप्लोमा वैधानिक से मान्य नहीं होगा।

6.3 सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय का शिक्षण संस्थाओं की सूची एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर जारी फर्जी अथवा मान्यता विहीन विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थान जिन की उपाधि मान्य नहीं है, की जानकारी प्राचार्य संबंधित विश्वविद्यालय से प्राप्त करें।

6.4 वर्ष 2012 मैं प्रारंभ किए एनवीक्यू ऐफ के अंतर्गत उत्तीर्ण आवेदकों को विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए अन्य सामान्य विषय की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जाए

7。 वाह्य आवेदकों का प्रवेश :-

7.1 स्नातक स्तर तक बी ए / बीकॉम/ बीएससी/ बी एच एस सी में एकीकृत पाठ्यक्रम लागू होने से छत्तीसगढ़ के किसी भी विश्वविद्यालय, स्वशासी महाविद्यालय से प्रथम या द्वितीय वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः द्वितीय और तृतीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता है। किंतु सम्बद्ध विश्वविद्यालय/ स्वशासी महाविद्यालय में पढ़ाई जा रहे विषयों/ विषय समूहों के आवेदकों ने पिछली परीक्षा दी हो, इसका परीक्षण करने के पश्चात ही नियमित प्रवेश दिया जावे। आवश्यकता हो तो विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र अवश्य लिया जाए।

7.2 छत्तीसगढ़ के बाहर स्थित विश्वविद्यालयों/ स्वशासी महाविद्यालय से स्नातक स्तर की प्रथम या द्वितीय परीक्षा, अन्य विश्वविद्यालयों/स्वशासी महाविद्यालय से स्नातकोत्तर पूर्व की परीक्षा या प्रथम ,द्वितीय, तृतीय सेमेस्टर परीक्षा एवं विधि स्नातक स्तर की प्रथम /द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनके द्वारा सम्बद्ध विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद उन्हीं विषयों/ विषय समूह की अगली कक्षा में नियमित प्रवेश दिया जाए।

राज्य के बाहर के विद्यार्थियों को निर्धारित प्रारूप में एक शपथ पत्र देना होगा। किसी भी प्रकार की झूठी/ गलत जानकारी पाए जाने पर संबंधित विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करते हुए उसे प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय में प्रवेश से वंचित कर दिया जाएगा। अन्य राज्य के आवेदकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का प्रमाणीकरण संबंधित बोर्ड/ विश्वविद्यालय से कराया जाना अनिवार्य है।

7.3 विज्ञान एवं अन्य प्रायोगिक विषयों में स्वाध्यायी आवेदकों को स्थान रिक्त होने पर तथा महाविद्यालय के पूर्व छात्रों को 30 नवंबर तक, निर्धारित शुल्क लेकर मात्र प्रायोगिक कार्य करने की अनुमति प्राचार्य के द्वारा दी जा सकती है।

8。 अस्थायी प्रवेश की पात्रता :-

अस्थाई प्रवेश की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अस्थाई प्रवेश लेना अनिवार्य होगा।

8.1 टेन प्लस टू तथा स्नातक स्तर की प्रथम/ द्वितीय वर्ष की परीक्षा में पूरक परीक्षा (कंपार्टमेंट) प्राप्त नियमित आवेदकों को अगली कक्षा में स्थान रिक्त होने पर अस्थाई प्रवेश की पात्रता होगी।

8.2 स्नातकोत्तर सेमेस्टर प्रथम/ द्वितीय/ तृतीय मैं पूरक/ एटीकेटी प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थाई प्रवेश की पात्रता होगी।

8.3 उपरोक्त कंडिका 7 के खंड 1 एवं 2 के आवेदकों को अस्थाई प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

8.4 पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर अस्थाई प्रवेश प्राप्त छात्र/ छात्राएं का अस्थाई प्रवेश स्वत: निरस्त हो जाएगा। उत्तीर्ण होने पर अस्थाई प्रवेश नियमित प्रवेश के रूप में मान्य किया जाएगा।

9० प्रवेश हेतु अर्हतायें :-

9.1 किसी भी महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के किसी संकाय में प्रवेश प्राप्त छात्र/ छात्राओं को उसी कक्षा में पुनः नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। यदि किसी छात्र ने पूर्व सत्र में आवेदित कक्षा में नियमित प्रवेश नहीं लिया हो तो ऐसा आवेदक नियमित प्रवेश हेतु अनर्ह नहीं माना जाएगा। उसे मात्र मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र तथा शपथ पत्र जिससे प्रमाणित हो कि पूर्व में उसने प्रवेश नहीं लिया है, के आधार पर ही नियमानुसार प्रवेश दिया जाएगा।

9.2 जिसके विरूद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया हो या न्यायालय में आपराधिक प्रकरण चल रहे हो, परीक्षा में या पूर्व सत्र में छात्रों/ अधिकारियों/ कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार/ मारपीट करने के गंभीर आरोप हों। चेतावनी देने के बाद भी सुधार परिलक्षित ना हुआ हो, तो ऐसे छात्र/ छात्राओं को प्रवेश नहीं देने के लिए प्राचार्य अधिकृत है।

9.3 महाविद्यालय में तोड़फोड़ करने और महाविद्यालय की संपत्ति को नष्ट करने वाले/ रैगिंग के आरोपी छात्र/ छात्राओं को प्राचार्य प्रवेश ना देने के लिए अधिकृत है। प्राचार्य इस हेतु कमेटी गठित कर जांच करवाएं एवं जांच की रिपोर्ट के आधार पर प्रवेश निरस्त किया जाए। ऐसे छात्र/ छात्राओं को छत्तीसगढ़ राज्य की किसी भी शासकीय/ अशासकीय महाविद्यालय में प्रवेश न दिया जाए।

9.4 प्रवेश हेतु आयु सीमा-

(क) छग शासन उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक एफ 17-95/2017/38-2 दिनांक 15.08.2021 द्वारा सभी कक्षाओं एवं पाठ्यक्रमों में आयु सीमा के बंधन को समाप्त किया गया है।

9.5 पूर्णकालिक शासकीय/ अशासकीय सेवारत कर्मचारी को उसकी दैनिक कार्य की अवधि में लगने वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। दैनिक कर्तव्य अवधि के उपरांत लगने वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवेदक द्वारा नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा।

9.6 किसी संकाय में स्नातक उपाधि प्राप्त छात्र/ छात्राओं को, किसी अन्य संकाय के स्नातक पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

10० प्रवेश हेतु गुणानुक्रम का निर्धारण:-

10.1 उपलब्ध स्थानों से अधिक आवेदन होने पर प्रवेश निम्नानुसार गुनानुक्रम से किया जाएगा,

(क) स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक एवं अधिकार देय है , अधिभार जोड़कर प्राप्त कुल प्रतिशत अंको के आधार पर तथा

(ख) विधि स्नातक प्रथम वर्ष में सम्बद्ध विश्वविद्यालय मैं प्रवेश परीक्षा का प्रावधान हो तो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार होगी।

10 .2 अनारक्षित एवं आरक्षित श्रेणी के लिए अलग-अलग गुनानुक्रम सूची तैयार की जावेगी.

11. प्रवेश हेतु प्राथमिकता:-

11.1 स्नातक/ स्नातकोत्तर/ विधि कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर प्रावीण्य सूची तैयार की जाएगी।

11.2 स्नातक/ स्नातकोत्तर अगली कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित/ उत्तीर्ण भूतपूर्व नियमित/ एक विषय में पूरक प्राप्त पूर्व सत्र के नियमित/ स्वाध्यायी विद्यार्थियों के क्रम में होगा

11.3 विधि संकाय की अगली कक्षाओं में पूरक छात्रों के पहले उत्तीर्ण परंतु 48 एग्रीगेट प्राप्त करने वाले छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जाए, अन्य क्रम यथावत रहेगा।

11.4 स्नातक स्तर के 3 वर्षीय पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए प्रदेश के किसी भी महाविद्यालय में प्रदेश के अन्य स्थानों/ तहसीलों/ जिलों के निवासरत अथवा परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले आवेदक विद्यार्थियों को भी गुना अनुक्रम से प्रवेश किया जाए।

11.5 किसी एक विषय की स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश महाविद्यालय में स्थान रिक्त रहने की स्थिति में ही दिया जा सकेगा।

12. आरक्षण- छत्तीसगढ़ शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा:-

12.1 प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में प्रवेश में सीटों का आरक्षण तथा किसी शैक्षणिक संस्था में इसका विस्तार निम्नलिखित रीति से होगा,

(क) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से 32% सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रहेंगी।

(ख) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से 12% सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रहेंगी।

(ग) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से 14% सीटें अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रहेंगी। परंतु जहां अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें पात्र विद्यार्थियों की अनुपलब्धता के कारण अंतिम तिथि पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे अनुसूचित जातियों से तथा विपरीत क्रम में पात्र विद्यार्थियों में से भरा जाएगा। परंतु यह और कि पूर्व गामी परंतु क में निर्दिष्ट व्यवस्था के पश्चात भी जहां खंड(क), (ख) तथा (ग) के अधीन आरक्षित सीटें अंतिम तिथि पर रिक्त रह जाती हैं तो इससे अन्य पात्र विद्यार्थियों से भरा जाएगा।

12.2 (1) बिंदु क्रमांक 12.1 के खंड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन उपलब्ध सीटों का आरक्षण ऊर्ध्वाधर (वर्टिकल) रूप से अवधारित किया जाएगा।

(2) निशक्त व्यक्तियों, महिलाओं, भूतपूर्व कार्मिकों/ भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बच्चों या व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गों के संबंध में क्षैतिज आरक्षण का प्रतिशत ऐसा होगा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किया जाए तथा हुआ बिंदु क्रमांक 12.1 के खंड(क) (ख) तथा(ग) के अधीन यथास्थिति ऊर्ध्वाधर आरक्षण के भीतर होगा।

12.3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र पुत्रियों, पौत्र , पौत्रीयों और नाती/ नातिन के लिए 3% स्थान आरक्षित रहेंगे। निशक्त श्रेणी के आवेदकों के लिए 5% स्थान आरक्षित रहेंगे।

12.4 सभी वर्गों में उपलब्ध स्थानों में से 30% स्थान छात्राओं के लिए आरक्षित होंगे।

12.5 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने के कारण अनारक्षित श्रेणी ओपन कंपटीशन में नियमानुसार मेरिट सूची में रखा जाता है तो उस आरक्षित श्रेणी की सीटें यथावत अप्रभावित रहेंगी, परंतु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी संवर्ग जैसे- स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि का भी है तो संवर्ग की यह सीट उस आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जाएगी, शेष संवर्ग की सीटें भरी जाएगी।

12.6 आरक्षित स्थान का प्रतिशत 1/2 से कम आता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा। 1/2 प्रतिशत एवं 1% के बीच आने पर आरक्षित खान की संख्या एक होगी।

12.7 जम्मू कश्मीर विस्थापितों तथा आश्रितों को 5% तक सीट वृद्धि कर प्रवेशदिया जाए तथा न्यूनतम अंत में 10% की छूट प्रदान की जाएगी।

12.8 समय-समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जाए।

12.9 कंडिका 12.1 में दर्शाई गई आरक्षण के प्रावधान माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के निर्णय के अधीन होगा।

12.10 तृतीय लिंग के व्यक्तियों को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस संबंध में प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू.पी. (सी) 400/ 2012 नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी विरुद्ध भारत सरकार एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 15 अप्रैल 20 14 की कंडिका 129(3) में यह निर्देश दिया गया है कि - " we direct the centre and the state government to take steps to treat them as socially and educationally backward classes of citizens and extend all kinds of reservation in case of admission in educational institution and for public appointments" का कड़ाई से पालन किया जाए।

13. अधिभार:-

अधिभार मात्र गुनानुक्रम निर्धारण के लिए ही प्रदान किया जाएगा, पात्रता प्राप्ति हेतु इसका उपयोग नहीं किया जाएगा। अर्हकारी परीक्षा के प्राप्त अंको के प्रतिशत पर ही अधिभार देय होगा। अधिभार हेतु समस्त प्रमाण पत्र प्रवेश आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन पत्र जमा करने के पश्चात बाद में लाए जाने/ जमा किए जाने वाले प्रमाणपत्रों पर अधिभार हेतु विचार नहीं किया जाएगा। एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर मात्र सर्वाधिक अधिभार ही देय होगा।

13.1 एनसीसी/ एनएसएस/ स्काउट:

स्काउट शब्द को स्काउट्स/ गाइड/ रेंजर्स/ रोवर के अर्थ में पढ़ा जाए

(क) एनएसएस/ एनसीसी ए सर्टिफिकेट- 2%

(ख) एनएसएस/ एनसीसी बी सर्टिफिकेट या द्वितीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट- 3%

(ग) सी सर्टिफिकेट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट - 4%

(घ) राज्य स्तरीय संचालनालयीन एनसीसी प्रतियोगिता में ग्रुप का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्र- 4%

(ड़) नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में छत्तीसगढ़ के एनसीसी/ एनएसएस कंटिजेंट में भाग लेने वाले विद्यार्थी- 5%

(च) राज्यपाल स्काउट- 5%

(छ) राष्ट्रपति स्काउट- 10%

(ज) छत्तीसगढ़ का सर्वश्रेष्ठ एनसीसी कैडेट- 10%

(य) ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग अवार्ड प्राप्त एनसीसी कैडेट- 10%

(र) भारत एवं अन्य राज्यों के मध्य यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में भाग लेने वाले केडेट, एनसीसी/ एमएसएस के लिए चयनित एवं प्रवास करने वाले कैडेट को, अंतर्राष्ट्रीय जंबूरी के लिए चयनित होने वाले विद्यार्थियों को- 15%

13.2 ऑनर्स विषय पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर कक्षा में उसी विषय में प्रवेश लेने पर- 10%

13.3 खेलकूद/ साहित्यिक/ सांस्कृतिक/ क्वीज़ / रूपांकन प्रतियोगिताएं-

(1) लोक शिक्षण संचालनालय अथवा छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अंतर जिला, संभाग स्तर , अथवा केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर संभाग/ त्रिस्तर प्रतियोगिता में-

(क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को- 2%

(ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रयुक्त स्थान प्राप्त करने वाले को- 4%

(2) उपर्युक्त कंडिका 13.3 (1) मैं उल्लेखित विभाग/ संचालनालय द्वारा आयोजित अंतर संभाग, राज्य स्तर, अथवा केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर क्षेत्रीय, राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ एआईयू द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में अथवा संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित क्षेत्रीय प्रतियोगिता में-

(क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को- 6%

(ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को- 7%

(ग) संभाग/ क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को- 5%

(3) भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित, संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में -

(क) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को- 15%

(ख) प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान अर्जित करने वाली टीम के सदस्यों को- 12%

(ग) क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को- 10%

13.4 भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ अथवा साइंस एवं कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत विज्ञान/ सांस्कृतिक/ साहित्यिक/ कला क्षेत्र में चयनित एवं प्रवास करने वाले दल के सदस्यों को- 10%

13.5 छत्तीसगढ़ शासन/ मध्य प्रदेश से मान्यता प्राप्त खेल संघ द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में-

(क) छत्तीसगढ़/ मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के सदस्य को- 10%

(ख) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छत्तीसगढ़ की टीम के सदस्यों को- 12%

13.6 जम्मू कश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को- 1%

13.7 विशेष प्रोत्साहन-

छत्तीसगढ़ राज्य एवं महाविद्यालय के हित में एनसीसी/ खेलकूद को प्रोत्साहन देने के लिए एनसीसी के राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ कैडेट तथा ओलंपियाड/ एशियाड/ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को बगैर गुना अनुक्रम के आगामी शिक्षा सत्र में उन कक्षाओं में सीधा प्रवेश दिया जाए जिनके उन्हें पात्रता है कि :

(1) इस प्रकार के प्रमाणपत्रों को संचालक, खेल एवं युवा कल्याण, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अभी प्रमाणित किया गया हो एवं

(2) यह सुविधा केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगी जिन्होंने निर्धारित समय अवधि के अंतर्गत अपना अभ्यावेदन महाविद्यालय में प्रस्तुत किया है परंतु इस प्रकार की सुविधा दूसरी बात प्राप्त करने के लिए उन्हें उपलब्धि पुनः प्राप्त करना आवश्यक होगा

13.8 प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु स्कूल स्तर के पिछले चार क्रमिक क्षेत्र के प्रमाण पत्र स्नातकोत्तर प्रथम या विधि प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु विगत 3 क्रमिक सत्र तक के प्रमाण पत्र अधिभार हेतु मान्य किए जाएंगे। स्नातक द्वितीय, तृतीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में प्रवेश हेतु पूर्व सत्र के प्रमाण पत्र अधिभार हेतु मान्य होंगे।

14. संकाय/ विषय/ ग्रुप परिवर्तन:-

स्नातक / स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में अर्हकारी परीक्षा के संकाय/ विषय/ ग्रुप परिवर्तन कर प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थियों को उनके प्राप्त अंको से 5% घटाकर उनका गुणानुक्रम निर्धारित किया जाएगा। अधिभार घटे हुए प्राप्तांक पर देय होगा। महाविद्यालय में स्नातक / स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में एक बार प्रवेश लेने के बाद वर्तमान सत्र के दौरान संकाय/ विषय/ ग्रुप परिवर्तन की अनुमति महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा 30 सितंबर तक या विलंब से मुख्य परीक्षा परिणाम आने पर कंडिका 2.2 में लिखित प्रवेश की अंतिम तिथि से 15 दिनों तक ही दी जाएगी।

यह अनुमति उन्हीं विद्यार्थियों को देय होगी जिनके प्राप्तांक संबंधित विषय/ संकाय की मूल गुनानक्रम सूची में अंतिम प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी के समकक्ष या उससे अधिक हो।

15 . शोध छात्र:-

शासकीय महाविद्यालय में पी एच डी के शोध छात्रों को 2 वर्ष के लिए प्रवेश दिया जाएगा। पुस्तकालय/ प्रायोगिक कार्य पूर्ण रह जाने की स्थिति में सुपरवाइजर की अनुशंसा पर प्राचार्य इस समय अवधि को अधिकतम 4 वर्ष कर सकेंगे। छात्र निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन करेंगे, प्रवेश के बाद निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद ही नियमित प्रवेश मान्य किया जावेगा। शोध छात्र के लिए संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा पी एच डी निर्देशन हेतु महाविद्यालय में पदस्थ मान्य प्राध्यापक ।परवाइजर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों के अंतर्गत ही अपना शोध कार्य संपादन करेंगे। अध्ययन अवकाश लेकर कोई शिक्षक यदि शोध छात्र के रूप में कार्यरत है तो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रेषित उपस्थिति प्रमाण पत्र एवं प्रति 3 माह की कार्य प्रगति रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही आहरण और वेतन अधिकारी द्वारा शोध शिक्षक का वेतन आहरित किया जाएगा।

महाविद्यालय में पदस्थ प्राध्यापक सुपरवाइजर के अन्यत्र स्थानांतरण हो जाने की स्थिति में शोध छात्र ऐसी संस्था में अपना शोध कार्य चालू रख सकते हैं जहां से उनका शोध आवेदन पत्र प्रेषित किया गया था। शोध कार्य पूर्ण हो जाने के उपरांत शोध का प्रबंध उसी महाविद्यालय के प्राचार्य अग्रेषित करेंगे। संबंधित विश्वविद्यालय के शोध अध्यादेश के साथ सहपठित करते हुए लागू होगा।

16. विशेष:-

16.1 जाली प्रमाण पत्रों, गलत जानकारी, जानबूझकर छिपाए गए प्रतिकूल तथ्यों, शासकीय अथवा कार्यालयीन असावधानीवश यदि किसी आवेदक को प्रवेश मिल गया है, ऐसे प्रवेश को निरस्त करने का पूर्ण दायित्व प्राचार्य को होगा।

16.2 प्रवेश लेकर किसी समुचित कारण, पूर्व अनुमति या सूचना के बिना लगातार एक माह या अधिक समय तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थी को प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।

16.3 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान कंडिका 9.2 एवं 9.3 में वर्णित अनुशासनहीनता के प्रकरणों में लिप्त विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने अथवा उसे निष्कासित करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।

16.4 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड़ देने अथवा उसका प्रवेश निरस्त होने अथवा उसका निष्कासन किए जाने की स्थिति में संरक्षित निधि के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क वापस नहीं किया जाएगा

16.5 प्रवेश के मार्गदर्शक सिद्धांतों के स्पष्टीकरण या प्रवेश संबंधी किसी प्रकरण में मार्गदर्शन की आवश्यकता होने पर प्राचार्य प्रकरण में अनिवार्य रूप से स्पष्ट टीप व अभिमत देते हुए स्पष्टीकरण/ मार्गदर्शन आयुक्त उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर से प्राप्त करेंगे। प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकरण को केवल अग्रेषित लिखकर प्रेषित ना किया जाए।

16.6 इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में उल्लेखित प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग को है। इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में समय-समय पर परिवर्तन/ संशोधन/ निरसन / संलग्न का संपूर्ण अधिकार छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय को होगा।

छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालय में विद्यार्थियों के लिए आचार संहिता

छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को महाविद्यालय के नियमों का अक्षरशः पालन करना होगा। पालन न करने पर वह शासन द्वारा निर्धारित दंडात्मक कार्यवाही का भागीदार होगा,

1. विद्यार्थी शालीन वेशभूषा में महाविद्यालय में आएगा। किसी भी स्थिति में उसकी वेशभूषा उत्तेजक ना हो।
2. प्रत्येक विद्यार्थी अपना पूरा ध्यान अध्ययन एवं महाविद्यालय की पाठ्येत्तर गतिविधियों में लगाएगा।
3. महाविद्यालय परिसर को स्वच्छ रखना प्रत्येक विद्यार्थी का नैतिक कर्तव्य है।
4. महाविद्यालय की सीमाओं में किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन सर्वथा वर्जित है।
5. महाविद्यालय में इधर-उधर थूकना, दीवानों को गंदा करना प्रतिबंधित है। किसी भी असामाजिक/ आपराधिक गतिविधि में लिप्त पाए जाने पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
6. महाविद्यालय परिसर में मोबाइल का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है।
7. सत्र के दौरान होने वाले इकाई परीक्षा , त्रैमासिक, अर्धवार्षिक इत्यादि परीक्षाओं में शामिल होना अनिवार्य है
8. परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग गंभीर दुराचरण माना जाएगा

-:विशेष:-

1. प्रत्येक विषय में 75% उपस्थिति अनिवार्य होगी। उपस्थिति कम होने पर वार्षिक परीक्षा में बैठने की पात्रता नहीं होगी।
2. ग्रंथालय द्वारा स्थापित नियमों का पूर्ण पालन अनिवार्य है। निर्धारित अवधि में पुस्तकें ना लौटाने पर आर्थिक दंड लग सकता है।
3. किसी भी कक्ष में लगे पंखे, लाइट, फर्नीचर इत्यादि की तोड़फोड़ दंडात्मक आचरण माना जाएगा।
4. यदि कोई छात्र अनैतिक या गंभीर अपराध में अभियुक्त पाया गया तो उसका प्रवेश निरस्त किया जाएगा
5. महाविद्यालय में रहेगी रैगिंग पूर्णतः प्रतिबंधित है। छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थानों में प्रताड़ना प्रतिषेध अधिनियम 2011 के अनुसार लिप्त छात्र को 5 साल तक कारावास की सजा या ₹5000 जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है।
6. निर्धारित समय नहीं शुल्क का भुगतान करना अनिवार्य है।
7. विद्यार्थी के द्वारा किसी भी रूप में गलत तथ्य प्रस्तुत करने या तथ्यों को छिपाने की स्थिति में उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा .
8. सभी आवेदन पत्रों में जहां पालक/ अभिभावक के हस्ताक्षर आवश्यक हो, वहां पर छात्र अनिवार्य रूप से अपने पालक/ अभिभावक का हस्ताक्षर कराएगा .
9. किसी भी छात्रा का किसी भी प्रकार से उत्पीड़न पूर्णतः प्रतिबंधित है। लिप्त छात्र पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी

"शुल्क विवरण"

शासकीय शुल्क :-

1	प्रवेश शुल्क	3=00
2	शिक्षण शुल्क स्नातक - स्नातकोत्तर -	 115=00 126=00
3	प्रायोगिक शुल्क (विज्ञान)	20=00
4	लेखन सामग्री	5=00

अशासकीय शुल्क :-

1	निर्धन छात्र कल्याण निधि	5=00
2	परिचय पत्र	35=00
3	महाविद्यालय विकास शुल्क	125=00
4	सम्मिलित निधि	61=00
5	चिकित्सा शुल्क	3=00
6	शारीरिक कल्याण	100=00
7	अवधान राशि	100=00
8	रेडक्रॉस सोसायटी	40=00
9	सायकल स्टैंड	20=00
10	इकाई परीक्षा शुल्क	66=00

विश्वविद्यालय शुल्क :-

1	शारीरिक कल्याण शुल्क	50=00
2	छात्र कल्याण शुल्क	10-00
3	पुस्तकालय शुल्क	20=00
4	युवा गतिविधियाँ शुल्क	01=00
5	छात्र संघ शुल्क	01=00

जनभागीदारी शुल्क :-

जनभागीदारी शुल्क	**300=00**

स्ववित्तीय शुल्क :-

क्र	**स्ववित्तीय विषय**	**समय अंतराल**	**वार्षिक शिक्षण शुल्क**
1	**एम॰ए॰ हिंदी**	**द्वि वर्षीय (4 सेमेस्टर)**	**6000=00**
2	**एम॰ए॰ राजनीति**	**द्वि वर्षीय (4 सेमेस्टर)**	**6000=00**
3	**एम॰ए॰ इतिहास**	**द्वि वर्षीय (4 सेमेस्टर)**	**6000=00**
4	**एम॰कॉम॰**	**द्वि वर्षीय (4 सेमेस्टर)**	**7000=00**
5	**एम॰एस॰सी॰ रसायन शास्त्र**	**द्वि वर्षीय (4 सेमेस्टर)**	**10000=00**
6	**एम॰एस॰सी॰ प्राणी शास्त्र**	**द्वि वर्षीय (4 सेमेस्टर)**	**10000=00**

टीप : उपरोक्त शुल्क में शासन के निर्देशानुसार परिवर्तन किया जा सकता है। कक्षा वार प्रवेश शुल्क की घोषणा सूचना पटल पर प्रवेश के समय की जाती है।

विश्वविद्यालय परीक्षा (स्वाध्यायी)

1. महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर स्वाध्यायी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए कक्षा एवं विषय - महाविद्यालय में जिस कक्षा एवं विषय का नियमित अध्ययन हो रहा है, उन्हें कक्षा एवं विषयों में स्वाध्यायी छात्र परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं।

2. स्नातकोत्तर स्तर पर स्वाध्यायी छात्र के सम्मिलित होने के लिए कक्षा एवं विषय निम्नानुसार हैं-

   a) एम ए पूर्व/ अंतिम समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, इतिहास, हिंदी, वाणिज्य।

3. विकलांग छात्रों को विश्वविद्यालययीन परीक्षा शुल्क से मुक्त रखा गया है। इस हेतु उन्हें शासन से जारी विकलांग प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

4. विश्वविद्यालय के अध्यादेश के तहत कोई भी छात्र 1 सत्र में दो परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकता है।

5. (a) महाविद्यालय में प्रथम अवसर नियमित प्रवेश प्राप्त करने वाले छात्र/ छात्राओं को विश्वविद्यालय में नामांकन आवेदन पत्र नामांकन फार्म भर कर ऑनलाइन/ ऑफलाइन जमा करना होगा .

(b) छत्तीसगढ़ के बाहर के बोर्ड/ विश्वविद्यालय से परीक्षा उत्तीर्ण कर आए छात्र को महाविद्यालय में नियमित प्रवेश प्राप्त करने तथा स्वाध्यायी परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु प्रवजन प्रमाण पत्र एवं विश्वविद्यालय का पात्रता प्रमाण पत्र आवश्यक होगा।

शुल्क मुक्ति , सहायता निधि, छात्रवृत्ति, शिष्यवृत्ति

1. अनुसूचित जाति/ जनजाति के छात्र छात्राओं के लिए महाविद्यालय में पूर्ण शुल्क मुक्ति की सुविधा उपलब्ध है। इस हेतु तहसीलदार या उससे उच्च किसी राजस्व अधिकारी द्वारा उस संवर्ग का प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है।
2. छत्तीसगढ़ शासन के अंतर्गत कार्यरत, सेवानिवृत्त अथवा मृत शासकीय कर्मचारियों के पुत्र पुत्रियों हेतु शुल्क मुक्ति - की सुविधा उपलब्ध है। यह सुविधा छात्र छात्राओं के लिए उपलब्ध है जिनके माता-पिता छत्तीसगढ़ शासन के चतुर्थ श्रेणी, तृतीय श्रेणी अथवा द्वितीय श्रेणी के ऐसे कर्मचारी हैं जिनका मूल वेतन 1450 रुपए (चौधरी वेतनमान) से अधिक नहीं है।
3. महाविद्यालय में अध्ययनरत सभी छात्राओं के लिए स्नातक स्तर पर पूर्ण शुल्क मुक्ति की सुविधा उपलब्ध है।
4. सगे भाई हेतु शुल्क में रियायत (ब्रदर कंसेशन)- यदि महाविद्यालय में 1 सत्र में सगा भाई अध्ययनरत है तो ऐसी स्थिति में कनिष्ठ भाई को शुल्क मुक्ति की सुविधा उपलब्ध है। कनिष्ठ भाई द्वारा इस हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करना होगा।
5. पूर्व सैनिकों के पुत्र/ पुत्रियों के लिए सामान्य शिक्षा के स्नातकोत्तर तक शैक्षणिक शुल्क जिसमें प्रायोगिक फ़ीस भी शामिल है की मुक्ति की सुविधा है।
6. गरीबी रेखा एवं निर्धन छात्र हेतु महाविद्यालय में छात्रवृत्ति की सुविधा उपलब्ध है।
7. सामान्य वर्ग के अल्पसंख्यक छात्र/ छात्राओं हेतु भी छात्रवृत्ति की सुविधा उपलब्ध है।

शुल्क मुक्ति के सभी प्रकरणों में छात्र को निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन करना होगा एवं आवश्यक अभिलेख संलग्न करने होंगे।

जनभागीदारी समिति

पिछले कुछ वर्षों से शासन स्तर पर या विचार किया गया कि उच्च शिक्षा अंतर्गत सेवाओं में केवल शासन ही एक कड़ी ना रहे , बल्कि जनता एवं छात्र-छात्राओं की भी भागीदारी सुनिश्चित की जाए। इस विचार के तारतम्य में शासकीय महाविद्यालयों में जनभागीदारी समिति का गठन संबंधी अध्यादेश लाया गया । वर्तमान में महाविद्यालय की जनभागीदारी समिति की अध्यक्षा के रूप में श्री संजय अग्रवाल जी कार्यरत हैं। उनके कुशल मार्गदर्शन और पूरी समिति के नेतृत्व में महाविद्यालय नित्य नवीन ऊंचाइयों को स्पर्श कर रहा है।

१	श्री संजय अग्रवाल, पार्षद	अध्यक्ष
२	तहसीलदार कटघोरा	उपाध्यक्ष (कलेक्टर द्वारा नामित)
३	श्रीमती ज्योत्सना चरणदास महंत	माननीया सांसद
४	श्री शिवम गुप्ता	विधायक प्रतिनिधि
५	श्री रतन मित्तल, अध्यक्ष, न०पा० कटघोरा	सदस्य
६	श्री राज जायसवाल	सदस्य
७	श्री सैयद हसन अली	सदस्य
८	श्री दानेंद्र सिंह तँवर	सदस्य

९	श्री आनंद गुप्ता	सदस्य
१०	श्री जय कँवर	सदस्य
११	श्री आर एम बघेल	सदस्य
१२	श्री संदीप चौबे	सदस्य
१३	श्री जी एस चौबे	सदस्य
१४	श्री मनीष अनंत	सदस्य
१५	श्रीमती संगीता अनंत	सदस्य
१६	श्री बृजमोहन कँवर	सदस्य
१७	श्रीमती शशि मिरि	सदस्य
१८	श्री आशुतोष शर्मा	सदस्य
१९	श्री विनोद जायसवाल	सदस्य
२०	श्रीमती राजेश्वरी जात्रा	सदस्य
२१	श्री देव गुप्ता	सदस्य
२२	श्री अनिल मित्तल	सदस्य
२३	श्री अशोक कुमार श्रीवास	प्रभारी
२४	डॉ॰ मदन मोहन जोशी	पदेन सचिव

यूथ रेड क्रॉस सॉसायटी

महाविद्यालय में सत्र 2003 से ही यूथ रेड क्रॉस सोसायटी स्थापित है। इसके माध्यम से महाविद्यालय में विभिन्न सामाजिक एवं स्वास्थ्य सम्बंधित कार्य किए जा रहे हैं। महाविद्यालय में किए जा रहे कार्य निम्नानुसार हैं,

a. रक्तदान एवं रक्त परीक्षण शिविर का आयोजन
b. महाविद्यालय में RO युक्त शुद्ध पेयजल की उपलब्धता
c. कोविड १९ में सैनीटाईज़र की व्यवस्था
d. महाविद्यालय की स्वक्षता
e. छात्रों की वैयक्तिक स्वक्षता
f. आटोमेटिक सेनेटाईज़र डिस्पेन्सर
g. छात्राओं हेतु सैनिटेरी पैड्ज़ का वितरण

ग्रंथालय

ग्रंथालय शिक्षण का आवश्यक अंग है । यह महाविद्यालय ग्रंथालय पुस्तकों की संख्या के दृष्टिकोण से काफ़ी समृद्ध है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा प्राप्त अनुदान एवं जैन भागीदारी समिति के सतत सहयोग से इसके निरंतर विकास के प्रयास जारी हैं । वर्तमान में लगभग 25,000 पुस्तकों के साथ यह ग्रंथालय अध्ययन एवं अध्यापन की सुविधा प्रदान कर रहा है ।

ग्रंथालय को नवीन तकनीक से अपग्रेड करने का प्रयास भी जारी है। ग्रंथालय में N-List की सुविधा उपलब्ध है। ग्रंथालय पूर्णतः ऑटमेटेड है।

(अ) ग्रंथालय द्वारा बुक बैंक योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग के छात्रों को शिक्षण सत्र में पठान हेतु पुस्तकों का सेट प्रदान किया जाता है, जिसे परीक्षा समाप्ति के तत्काल पश्चात जमा करना होता है ।

(ब) ग्रंथालय के माध्यम से SC/ST वर्ग के छात्रों को स्टेशनरी का निशुल्क वितरण किया जाता है ।

(स) छात्रों के अध्ययन हेतु ग्रंथालय में एक वाचनालय की सुविधा भी उपलब्ध है । यहाँ बैठकर छात्र अपने विषय से सम्बंधित पुस्तकें एवं ज्ञानवर्धक पत्रिकाएँ तथा समाचार पत्र भी पढ़ सकेंगे ।

ग्रंथालय – सूचना

ग्रंथालय से पुस्तक प्राप्त करने हेतु कक्षावार दिन एवं समय निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है| महाविद्यालय के सभी नियमित छात्र तथा छात्राओं को निम्नानुसार कक्षावार दिन एवं समय के अनुसार ग्रंथालय में उपस्थित होकर पुस्तक प्राप्त करें |

बी. एससी. एवं बी. काम. हेतु पुस्तक प्रदाय के दिन

कक्षा	दिन	पुस्तक निर्गमन सप्ताह	समय
बी. एससी. प्रथम वर्ष	सोमवार	**माह का प्रथम एवं तृतीय सप्ताह**	11.30 **am**. से 1.30**pm**. तथा 2.00 **pm**. से 4.00 **pm**. तक पुस्तक निर्गमन तथा वापसी
बी. एससी. द्वितीय वर्ष	मंगलवार		
बी. एससी. तृतीय वर्ष	बुधवार		
बी. काम. प्रथम वर्ष	वृहस्पतिवर		
बी. काम. द्वितीय एवं तृतीय वर्ष	शुक्रवार		

बी. ए. एवं स्नातकोत्तर कक्षाएं हेतु पुस्तक प्रदाय के दिन

कक्षा	दिन		समय
बी. ए. प्रथम वर्ष	सोमवार	**माह का द्वितीय एवं चतुर्थ सप्ताह**	11.30 **am**.से 1.30**pm**. तथा 2.00 **pm**. से 4.00 **pm**. तक पुस्तक निर्गमन तथा वापसी
बी. ए. द्वितीय वर्ष	मंगलवार		
बी. ए. तृतीय वर्ष	बुद्धवार		
एम. एससी. (सभी विषय)	वृहस्पतिवर		
एम. ए. (सभी विषय)	शुक्रवार		

टीप:-

1. महाविद्यालय के नियमित छात्र तथा छात्राओं को एक साथ 02 पाठ्य-पुस्तक 30 दिनों के लिए निर्गमित की जायेगी ।
2. प्रायोगिक विषय (जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं भौतिक विज्ञान) के छात्र-छात्राओं को एक साथ 02 पाठ्य-पुस्तक तथा 01 प्रायोगिक पुस्तक 30 दिनों के लिए निर्गमित की जायेगी
3. निर्धारित समय सीमा पर पुस्तकें जमा नहीं करने पर रु. 1.00 प्रतिदिन के हिसाब से अर्थ दंड देना होगा। अर्थदंड सत्र के अंत में नो-ड्यूज के समय एक साथ लिया जायेगा।
4. सप्ताह के प्रत्येक शनिवार को ग्रंथालय के साफ- सफाई सम्बन्धी कार्य किया जायेगा।
5. सप्ताह में किसी दिन अवकाश होने की स्थिति में उसी सप्ताह के शनिवार को पुस्तक निर्गमित की जाएगी

क्रीड़ा विभाग

महाविद्यालय अपने छात्र/छात्राओं के शारीरिक क्षमताओं के उन्नयन एवं विकास हेतु समय समय पर शासकीय केलेंडर के अनुसार महाविद्याल स्तर/ परिक्षेत्र स्तर एवं विश्वविद्यालय स्तर पर विभिन्न क्रीड़ा गतिविधियों का आयोजन करता है ।

महाविद्यालय में क्रिकेट, कबड्डी, फ़ुटबॉल, बेडमिंटन, टेबल -टेनिस, व्हाली बॉल, खो खो, मलखम्भ, कराटे,शतरंज एवं एथेलटिक्स जैसे खेलों में प्रशिक्षण भी प्रदान करता है ।

महाविद्यालय के पास स्वयं का बेडमिंटन, बास्केट बॉल, कबड्डी एवं खो खो आदि खेलों का मैदान है। वार्षिकोत्सव के अवसर पर विभिन्न क्रीड़ा प्रतियोगिताएँ भी आयोजित की जाति हैं। इस अवसर पर परिक्षेत्र एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में महाविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिभागियों को पारितोषिक एवं प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है क्रीड़ा विभाग के पास शीघ्र ही इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी उपलब्ध हो जाएगा जिससे छात्रों को काफ़ी सुविधा होगी

राष्ट्रीय सेवा योजना

राष्ट्रीय सेवा योजना भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय युवा एवं खेल विभाग, नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित योजना है । यह कार्यक्रम युवाओं में राष्ट्रीय सेवा की भावना विकसित करने हेतु अवसर प्रदान करने के लिए प्रारम्भ किया गया है ।इस योजना के तहत राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय एकता शिविर, पर्वतारोहण शिविर, गणतंत्र दिवस परेड आदि कार्यक्रमों में दूरस्थ अंचल के छात्रों को सहभागिता का अवसर प्राप्त होता है । राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय शिविर एवं ज़िला स्टर पर ज़िला स्तरीय शिविर प्रतिवर्ष लगाए जाते हैं ।

राष्ट्रीय सेवा योजना का उद्देश्य समाज सेवा के माध्यम से व्यक्तित्व विकास है । यह कार्यक्रम महाविद्यालय के निकट स्थित नगर/ग्राम/ गोद ग्राम की एक दिवसीय शिविर के माध्यम से साफ़ सफ़ाई, सर्वेक्षण , उपयोगी परिचर्चा, सांस्कृतिक कार्यक्रमों द्वारा छात्रों के शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक विकास हेतु मंच प्रदान करता है । आपदा एवं अन्य सामुदायिक सेवा हेतु राष्ट्रीय सेवा योजना के प्रतिभागियों को सदैव तैयार रखा जाता है ।

महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना की एक पुरुष इकाई कार्यरत है । इसमें 100 सीट आबँटित की गयी है । इसमें छात्रों को सर्वप्रथम महाविद्यालय में प्रवेश के उपरांत अपना पंजीयन कारण अनिवार्य होता है। महाविद्यालय स्तर पर प्रतिभागियों

को विश्विद्यालय द्वारा सफलता पूर्वक कार्य करने के उपरांत "बी" एवं "सी" प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है । "बी" प्रमाण पत्र हेतु छात्र को नियमित गतिविधियों के अंतर्गत 2 वर्ष में 240 घंटे की अवधि एवं कम से कम एक विशेष शिविर में भाग लेना अनिवार्य है ।

कन्या छात्रावास

महाविद्यालय में उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु दूरदराज़ से आने वाली छात्राओं के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सहायता से निर्मित 100 बिस्तर कन्या छात्रावास भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। इस कन्या छात्रावास का अधिग्रहण 24.02.2020 को किया जा चुका है। महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं को छात्रावास सुविधा उपलब्ध करने की दिशा में हम प्रयत्नशील हैं

छात्रों हेतु आवश्यक निर्देश

1) प्रवेश विवरणिका का अध्ययन करें एवं नियमानुसार कार्यवाही करें।

2) प्रवेश उपरांत परिचय पत्र/ ग्रंथालय पत्रक बनवाएँ। बिना प्रवेश पत्र के परिसर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

3) नवीन छात्र समय सीमा में अविलम्ब विश्वविद्यालय में ऑनलाइन नामांकन की कार्यवाही करें।

4) सहायता निधि/ शुल्क मुक्ति/ छात्रवृत्ति हेतु प्रवेश के तत्काल उपरांत सम्बंधित प्रभारी/ सहायक से सम्पर्क स्थापित करें।

5) महाविद्यालयीं गतिविधियों की नवीनतम जानकारी हेतु प्रतिदिन मुख्य सूचना पटल के साथ साथ ग्रंथालय/क्रीड़ा/ NSS के सूचना पटल भी देखें।

6) महाविद्यालय में 75% उपस्थिति अनिवार्य है ।इसके अभाव में परीक्षा में शामिल होने से छात्रों को रोका जा सकता है।

7) महाविद्यालय परिसर को स्वच्छ बनाए रखना प्रत्येक विद्यार्थी का कर्तव्य है ।

8) किसी भी प्रकार की समस्या या शिकायत होने पर सम्बंधित प्राध्यापक/ समिति के संयोजक से मिलें । प्राचार्य कक्ष के बाहर रखी शिकायत पुस्तिका में भी आप शिकायत या सुझाव दे सकते हैं ।

9) महाविद्यालय के नवीनतम क्रिया कलापों हेतु आप महाविद्यालय की वेबसाइट www.gomdp.ac.in या महाविद्यालय का फ़ेसबुक पेज www.facebook.com/gomdp का निरंतर अवलोकन करते रहें ।

अकादमिक केलेंडर

महाविद्यालय में अध्यापन कार्य राज्य शासन के उच्च शिक्षा विभाग एवं विश्वविद्यालय द्वार प्रदत्त अकादमिक केलेंडर के आधार पर हाई किए जाएँगे । इस सत्र हेतु शासन एवं विश्वविद्यालय से अकादमिक केलेंडर प्राप्त हो चुका है जो कि महाविद्यालय की वेबसाइट www.gomdp.ac.in में उपलब्ध है ।

अनु॰ जाति/ अनु॰ जन जाति/ OBC छात्रवृत्ति के नियम

1. जो छात्र किसी भी संकाय में प्रथम बार छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करेंगे वे नवीन कहलाएँगे ।
2. केवल नवीन विद्यार्थी ही इस वर्ष नया पंजीयन करेंगे ।
3. नए पंजीयन के लिए नवीन विद्यार्थी से लिए जाने वाले दस्तावेज – जाति, आय, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, जीवित बैंक पास बुक, दसवीं, बारहवीं एवं पिछली उत्तीर्ण परीक्षा की अंक सूची, अगर गैप हो तो गैप प्रमाणपत्र, एक फ़ोटो ।
4. जाति प्रमाण पत्र छत्तीसगढ़ के किसी भी ज़िले का हो सकता है । **किसी भी अन्य राज्य का बना हुआ जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा ।**
5. जिस भी छात्र को 2021-22 में छात्रवृत्ति स्वीकृत की गयी है, वही विद्यार्थी नवीनीकरण हेतु पात्र होगा । गत वर्ष के **ID** और **Password** से ही नवीनीकरण किया जाएगा ।
6. नवीनीकरण हेतु छात्र को पिछले उत्तीर्ण परीक्षा की अंक सूची तथा बैंक पास बुक का प्रथम एवं अंतिम पेज की छाया प्रति देना अनिवार्य होगा ।
7. **पूरक या अनुत्तीर्ण छात्र को छात्रवृत्ति की पात्रता नहीं होगी ।**
8. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए अधिकतम आय रू॰ 2.50 लाख (रु दो लाख पचास हज़ार) एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अधिकतम रू॰ 1.00 लाख (रू एक लाख)

महाविद्यालय का शैक्षणिक परिवार

क्र	नाम	पदनाम	विषय
1	डॉ मदन मोहन जोशी	प्राचार्य	अर्थशास्त्र
2	डॉ आशुतोष लाल	सहायक प्राध्यापक	समाज शास्त्र
3	श्री अशोक कुमार श्रीवास	सहायक प्राध्यापक	भौतिक शास्त्र
4	डॉ मदन मोहन जोशी	सहायक प्राध्यापक	अर्थशास्त्र
5	डॉ पूनम ओझा	सहायक प्राध्यापक	इतिहास
6	डॉ हेमंत सिंह कँवर	सहायक प्राध्यापक	हिंदी
7	श्री प्रिन्स कुमार मिश्रा	सहायक प्राध्यापक	वाणिज्य
8	श्री तिलक राम आदित्य	सहायक प्राध्यापक	राजनीति शास्त्र
9	श्री धरम दास टंडन	सहायक प्राध्यापक	वाणिज्य
10	श्री यशवंत कुमार जायसवाल	सहायक प्राध्यापक	गणित
11	श्री भुनेश्वर कुमार	सहायक प्राध्यापक	अंग्रेज़ी
12	श्री शैलेंद्र कुमार ओट्टी	सहायक प्राध्यापक	रसायन शास्त्र
13		सहायक प्राध्यापक	जंतु शास्त्र
14	प्रतिमा कँवर	सहायक प्राध्यापक	वनस्पति शास्त्र
15	श्री सुरेश कुमार सिंह पवार	क्रीड़ाधिकारी	
16	श्री प्रेम नारायण वर्मा	ग्रंथपाल	

महाविद्यालय का ग़ैर-शैक्षणिक परिवार

क्र	नाम	पदनाम
1	- रिक्त -	छात्रावास अधीक्षक
2	- रिक्त -	सहायक ग्रेड I
3	श्री बालाराम साहू	सहायक ग्रेड III
4	डॉ कल्पना शांडिल्य	सहायक ग्रेड III
5	श्री कीर्ति कुमार मरकाम	डेटा एंट्री ऑपरेटर
6	श्री चंचल वैष्णव	लैब तकनीशियन
7	श्री मनहरन श्याम	लैब तकनीशियन
8	श्री पी के कांत	लैब तकनीशियन
9	श्री के के दीवान	लैब तकनीशियन
10	श्रीमती सरस्वती राज	लैब सहायक
11	श्री सूर्यकांत मानिकपुरी	लैब सहायक
12	- रिक्त -	लैब सहायक
13	श्री धजाराम यादव	भृत्य
14	- रिक्त -	चौकीदार
15	श्रीमती कंचन देवी कोर्राम	बुक लिफ़्टर
16	श्रीमती लक्ष्मिन बाई	भृत्य
17	श्री पी जय रामूलू	स्वीपर

सारे जहाँ से अच्छा हिन्दोस्तां हमारा
स्थापना 1985
शास.मु.ध.पा. महाविद्यालय कटघोरा

शासकीय मुकुटधर पाण्डेय महाविद्यालय

कटघोरा, कोरबा (छ.ग.)

LIBRRARY AT A GLANCE

ग्रंथालय एक नजर में

LIBRARY USERS :- ग्रंथालय उपयोगकर्ता

ARTS, SCIENCE AND COMMERCE STUDENTS
कला,विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय के छात्र-छात्राए
TEACHERS AND STAFF
प्राध्यापक और कर्मचारी

LIBRARY RESOURCES: - ग्रंथालय संसाधन

TEXT BOOKS
पाठ्य पुस्तक
REFERENCE BOOKS
सन्दर्भ पुस्तक
COMPETITIVE EXAM BOOKS
प्रतियोगी परीक्षा पुस्तक
GOVERNMENT RULES BOOKS
शासन नियमावली पुस्तक

LIBRARY E-RESOURCES: - ग्रंथालय ई-संसाधन

N-LIST - https://nlist.inflibnet.ac.in/

E-BOOKS AND E-JOURNALS

NDL (NATIONAL DIGITAL LIBRARY) -
https://ndl.iitkgp.ac.in/
EGYANKOSH -
https://egyankosh.ac.in/
E-PG PATHSHALA -
https://epgp.inflibnet.ac.in/
SHODHGANGA -
https://shodhganga.inflibnet.ac.in/
GOOGLE SCHOLAR-
https://scholar.google.com/
NPTEL- https://nptel.ac.in/\

NEWS PAPER (समाचार पत्र)

THE HITAVADA (ENGLISH)
दैनिक भास्कर
हरिभूमि
नई दुनिया
पत्रिका
नवभारत

MAGAZINE (पत्रिका)

रोजगार समाचार
रोजगार नियोजन
विकास परख
प्रतियोगिता दर्पण
क्रानिकल
घटना चक्र
समसामायिकी महासागर
इण्डिया टूडे

LIBRARY SERVICES AND FACILITIES

ग्रंथालय सुविधा और सेवायें

LIBRARY MEMBERSHIP
ग्रंथालय सदस्यता
TEXT BOOK ISSUE RETURN
पाठ्य पुस्तक निर्गम-वापस
VACHNALAY READING ROOM
वाचनालय अध्ययन कक्ष
NEWS PAPER AND MAGAZINE READING
समाचार पत्र एवं पत्रिकाएँ अध्ययन
COMPETITIVE EXAM BOOK READING
प्रतियोगी परीक्षा पुस्तक अध्ययन
INTERNET, E-BOOKS AND E-JOURNALS ACCESS
इन्टरनेट, ई-पुस्तक और ई-जर्नल्स अभिगम
PROPERTY COUNTER
संपत्ति काउंटर
SOUL OPAC (ONLINE PUBLIC ACCESS CATELOGUE)
आनलाईन सार्वजनिक अभिगम सुचि
WiFi
CCTV (CLOSED CIRCUIT TELEVISON)

विषयवार ग्रंथालय में उपलब्ध पुस्तकें

शासकीय मुकुटधर पांडेय महाविद्यालय, कटघोरा

जिला – कोरबा (छत्तीसगढ़)

प्रवेश आवेदन पत्र (2022-23)

वर्ग – अनु॰जाति / अ॰ज॰जा॰ /अ॰पि॰वर्ग /सामान्य

विकलांग – हाँ / नहीं

अल्पसंख्यक – हाँ/ नहीं (किस अल्पसंख्यक वर्ग से – नाम --------------------------)

कक्षा का नाम : …………………………………..

संकाय – कला / वाणिज्य / विज्ञान

विषय :

1……………………….2………………………..3……………………

(1) छात्र का नाम (हिंदी में): ………………………………………………………………

(अंग्रेज़ी में): ………………………………………………………………

(2) पिता / पति का नाम : श्री ………………………………………………………………

(3) माता का नाम : श्रीमती ………………………………………………………………

(4) लिंग - पुरुष / महिला / तृतीय लिंग

(5) जन्म तिथि (अंकों में): - - / - - / - - - -

(शब्दों में): ………………………………………………………………

(6) छात्र का मोबाइल नम्बर - -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

(7) छात्र की ई-मेल आई डी -

(8) छात्र का पूर्ण पता :………………………………………………………………

………………………………………………………………

नोट : कोई भी प्रविष्टि ख़ाली न रखें ।

9) विगत परीक्षा का विवण (सभी उत्तीर्ण परीक्षा की सत्यप्रतिलिपि जमा करें।)

परीक्षा का नाम	वर्ष	प्राप्तांक	पूर्णांक	प्रतिशत	विषय/समूह	बोर्ड/वि.वि. का नाम
हाई स्कूल (10वीं)						
हा. सेकण्ड्री (12वीं)						
स्नातक भाग-1						
स्नातक भाग-2						
स्नातक भाग-3						
स्नातकोत्तर (पूर्व)						

10) अंतिम परीक्षा का नाम .... विश्वविद्यालय का नाम ....

नामांकन क्र ....

11) गत वर्षो में आवेदक का अध्ययन क्रम यदि जारी नहीं रहा तो कारण एवं अवधि का स्पष्ट उल्लेख करें।

....

12) क्या आवेदक सेवारत् है ? यदि हां तो नियोक्ता का अनुमति प्रमाणक संलग्न अनुमति संलग्न करें।

13) शैक्षणिकेत्तर गतिविधियों खेलकुद/एन.एस.एस./एन.सी.सी. उल्लेखनीय उपलब्धियॉं हो तो अधिभार हेतु पूर्ण विवरण

....

14) आवेदक के विरूद्ध पुलिस/न्यायिक प्रकरण लंबित हो तो जानकारी ....

15) संलग्न प्रमाण पत्रों की सूत्री (चेक लिस्ट के अनुसार) ....

आवेदक द्वारा शपथ–पत्र

मैंने महाविद्यालय के नियमों, व्यवस्थाओं व आचरणसंहिता का अध्ययन कर लिया है तथा प्रतिज्ञा करता/करतती हूँ कि मैं अध्ययनरत् रहकर अपने कर्तव्यों तथा महाविद्यालय के नियमों एवं व्यवस्थाओं का पालन करता रहूँगा/करती रहूँगी तथा महाविद्यालयनी अथवा बाहर क परीक्षाओं में किसी भी अनुशासनहीनता एवं हिंसात्मक कार्यवाही में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भाग नहीं लूंगा/लूंगी। मैं हर मामले में महाविद्यालय के निर्णयों का पालन करूंगा/करूंगी। मैं घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैनें किसी भी तथ्य के छिपाया नहीं है और न ही असत्य जानकारी दी है। उपरोक्त प्रतिज्ञा के उल्लघंन करने की स्थिति में प्राचार्य को पूर्ण अधिकार होगा कि वे मुझे दंडित कर सकते है व निष्कासित भी कर सकते है। जिसकी पूर्व सूचना मुझे या मेरे पालक को देना आवश्यक नहीं है। मैं किसी भी छात्र/छात्रा का रैगिंग नहीं लूंगा/लूंगी अन्यथा दण्ड का भागीदार रहूँगा/रहूँगी।

दिनांक..........................

आवेदक के हस्ताक्षर

पिता / अभिभावक का घोषणा पत्र

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे पुत्र/पुत्री/पाल्य द्वारा इस आवेदन पत्र में दी गई समस्त जानकारी सत्य है। महाविद्यालय में उसके अध्ययनकाल में उसके आचरण, कार्यो, उपस्थिति तथा दैनन्दिनी प्रगति और व्यवहार के संबंध में विशेष ध्यान दूंगा तथा उसके लिए मैं पूर्णतः उत्तरदायी रहते हुए महाविद्यालय को पूर्ण सहयोग देता रहूँगा और महाविद्यालय को देय समस्त शुल्क की राशि के भुगतान उत्तरदायित्व का वहन करूंगा। यदि मेरे पुत्र/पुत्री/पाल्य के विरूद्ध रेगिंग की शिकायत प्राप्त हुई तो उसे महाविद्यालय से निष्कासित किया जाए। इसमें मेरे पूर्ण सहमति होगी।

दिनांक..........................

पिता/अभिभावक के हस्ताक्षर

मो.नं. ....

केवल कार्यालयीन प्रयोग हेतू

आवेदन पत्र की जॉच की गई आवश्यक दस्तावेज के साथ पूर्ण पाया गया

हस्ताक्षर प्राप्तकर्ता

प्रवेश समिति के संयोजक/अध्यापक की अनुशंसा/टिप्पणी

श्री/कु./श्रीमती .... की कक्षा .... के विषय/विषयों

1 .... 2 .... 3 .... 4 ....

में प्रवेश की अनुशंसा की जाती है

1. विषय परिवर्तन ....

2. आवेदन पत्र की निम्नलिखित आपूर्तियां की जाये ....

आवेदन प्रपत्र अस्वीकृत कर दिया जाये-

संयोजक प्रवेश समिति

प्राचार्य आदेश

1. आवेदक को कक्षा .... में अस्थायी प्रवेश दिया जाता है।
2. आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

दिनांक......................

प्राचार्य

प्रवेश शुल्क का विवरण

प्रवेश क्रमांक

दिनांक

1) शासकीय शुल्क रू .... र.क्र. .... दिनांक ....

2) अशासकीय शुल्क रू .... र.क्र. .... दिनांक ....

3) जनभागीदारी शुल्क रू .... र.क्र. .... दिनांक ....

4) रेडक्रास सोसाइटी शुल्क रू.. र.क्र. .... दिनांक ....

हस्ता. शुल्क लिपिक

राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS)

प्रवेश आवेदन पत्र (पंजीयन)

2021-22

1. संस्था का नाम : शासकीय मुकुटधर पांडेय महाविद्यालय, कटघोरा, कोरबा (छ ग)
2. सम्बद्ध विश्वविद्यालय : अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर
3. आवेदक का नाम : श्री ………………………………………………………..
4. पिता का नाम : श्री ………………………………………………………..
5. जन्म तिथि : ………………………………..
6. मोबाइल नम्बर :………………………………..
7. E Mail :………………………………..
8. वर्ग : SC/ ST/ OBC/ General
9. प्रवेश क्र० एवं दिनांक :………………………………..
10. पता………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
11. आवेदक द्वारा प्राप्त पुरस्कार :

विवरण	वर्ष	संस्था	स्तर	विशेष

12. क्या आवेदक पूर्व में NSS का स्वयं सेवक था : हाँ / नहीं
13. यदि हाँ तो संस्था का नाम : ………………………………………………………..
14. यदि A/B प्रमाणपत्र धारी है तो छायाप्रति संलग्न करें।
15. अभिरुचि : ……………………………………………………………………

दिनांक ………………… आवेदक के हस्ताक्षर

पंजीयन क्र………………… दिनांक ………………… रा से यो अधिकारी के हस्ताक्षर

<u>सभी छात्र निम्न जानकारी अनिवार्य रूप से भरें</u>

1. आधार नम्बर : ....

2. बैंक का खाता नम्बर (स्वयं का) : ....

3. बैंक का नाम एवं शाखा : ....

4. बैंक खाता आधार से लिंक है या नहीं : है / नहीं है

5. Whats app नम्बर : ....

6. मेल ID : ....

7. ब्लड ग्रुप : ....

8. वोटर ID कार्ड नम्बर : ....

कार्यालय प्राचार्य,
शासकीय मुकुटधर पांडेय महाविद्यालय, कटघोरा

Email-mdpcollegektg@gmail.com, **Website – www.gomdp.ac.in**
नैक मूल्यांकित CGPA-1.96 (C)

Library Membership Form
2022-23

फ़ोटो लगाएँ

Library Membership Id (To be filled by Library) :

Student Name : ....

Class : ....

Father's Name : ....

Gender : M / F / TG

Aadhar No. : ....

Permanent Address : ....

Dist. .... State. ....PIN ....

Whats-app Mob. No : ....

Email ID : ....

Identity Card Format

(इसे अनिवार्य रूप से भरें)

NAME: ....

FATHER'S NAME: ....

CLASS: ....

DATE OF BIRTH: ....

MOBILE NO: ....

ADDRESS: ....

(STUDENT'S SIGNATURE)

महाविद्यालय की झलकियाँ

महाविद्यालय भवन

महाविद्यालय में कोविड टीकाकरण

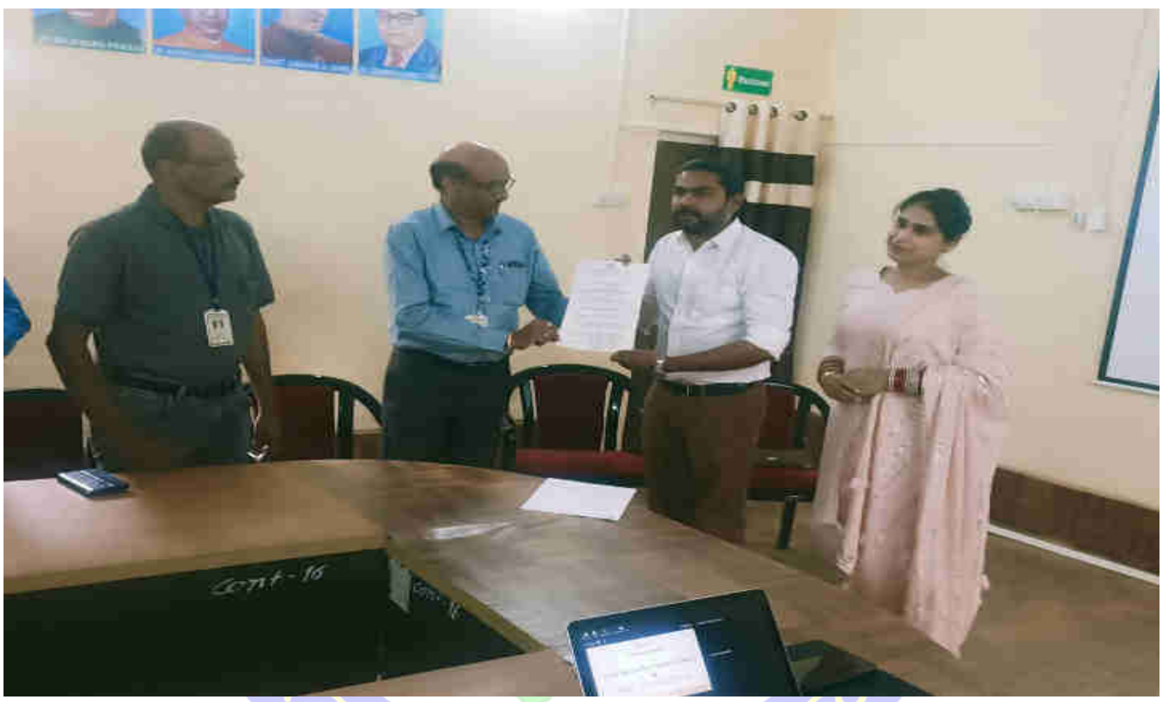

कौशल उन्नयन हेतु तरु फ़ाउंडेशन से महाविद्यालय का MoU

राज्य शासन द्वारा नियुक्त नैक टीम का महाविद्यालय में निरीक्षण

माननीय विधायक महोदय, कटघोरा द्वारा वृक्षारोपण

नैक पीयर टीम आगमन के समय सांस्कृतिक प्रस्तुति

नैक पीयर टीम द्वारा विभागीय निरीक्षण

नैक पीयर टीम निरीक्षण

नैक पीयर टीम का आगमन

अंतर्महाविद्यालयीन कबड्डी प्रतियोगिता

अंतर्महाविद्यालयीन कबड्डी प्रतियोगिता

ज़िला स्तरीय नैक टीम निरीक्षण

स्वीप रैली

महिला सशक्तिकरण- कराटे का निशुल्क प्रशिक्षण